

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.12.2025

थाना इलिया

 थाना इलिया पुलिस द्वारा 39 राशि गोवंशीय पशु (जिसमे 38 राशि गोवंशीय पशु जिन्दा व 01 राशि गोवंश (गाय) मृत दशा में) व एक वाहन डी0सी0एम0 के साथ एक अन्तर्राज्यीय गोवंश तस्कर गिरफ्तार

चन्दौली- आदित्य लांगे पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गोतस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में दिगम्बर कुशवाहा अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व रघुराज क्षेत्राधिकारी चकिया के कुशल पर्यवेक्षण में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय अरुण प्रताप सिंह इलिया के निर्देशन में 30नि0 कृष्णानंद पाण्डेय अपने हमराही पुलिस टीम के साथ दिनांक 05.12.2025 को दौराने चेकिंग उस समय सफलता मिली जब वाहन चालक अभि0 नरेन्द्र पुत्र स्व0 बुधराम निवासी ग्राम पन्नापुरी थाना देहात जनपद हापुड़ 30प्र0 उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा 39 राशि गोवंशीय पशु (जिसमे 38 राशि गोवंशीय पशु जिन्दा व 01 राशि गोवंश (गाय) मृत दशा में) मय एक अदद वाहन आयसर डी0सी0एम0 UP37BT2895 मे भरकर वध हेतु बिहार ले जाया जा रहा था कि माल्दह पुलिस वहाद ग्राम माल्दह से बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 91/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा धारा 109(1)/325 BNS बनाम 1.नरेन्द्र पुत्र स्व0 बुधराम निवासी ग्राम पन्नापुरी थाना देहात जनपद हापुड़ 30प्र0 2.सरफूद्दीन साह पुत्र स्व0 अजमेरी साह निवासी ग्राम केवा थाना चैनपुर जिला कैमूर भभुआ बिहार 3. एजाज पुत्र अज्ञात ग्राम शिवरामपुर थाना चांद जिला कैमूर भभुआ बिहार 4. वाहन स्वामी हेमन्त तोमर पुत्र शतीश MO.N0.7900272527 निवासी KASTALA KASMABAD GHAZIABAD HAPUR UP, 245304 के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का स्थान व समय-

माल्दह पुलिस वहाद ग्राम माल्दह बफासला 06 किमी दक्षिण दिनांक 05.12.2025 समय 06.31 बजे।

नाम पता अभियुक्त-

1.नरेन्द्र पुत्र स्व0 बुधराम निवासी ग्राम पन्नापुरी थाना देहात जनपद हापुड़ 30प्र0 उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 91/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा धारा 109(1)/325 BNS (अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।)

विवरण बरामदगी

एक अदद वाहन आयसर डी0सी0एम0 UP37BT2895 से 39 राशि गोवंशीय पशु (जिसमे 38 राशि गोवंशीय पशु जिन्दा व 01 राशि गोवंश (गाय) मृत दशा में) बरामद होना।

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम

- 1.थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 2.उ0नि0 रविन्द्र कुमार सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 3.उ0नि0 कृष्णानन्द पाण्डेय थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 4.उ0नि0 साहबदीन यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 5.हे0का0 अजय कुमार दूबे थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 6.हे0का0 हरिकिशन थाना इलिया जनपद चन्दौली।

थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

- ◆ थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण
- ◆ हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगे द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी के गहन पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक सकलडीहा दिलीप कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-244/2025 धारा 103(1) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र कुदू यादव निवासी ग्राम नोनार तुलसी आश्रम थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली जो दिनांक 05.12.2025 को समय 5.00 बजे सुबह तुलसी आश्रम से अमडा मार्ग पर प्रतिदिन की भांति टहलने के लिए निकले व्यवसायी ओमप्रकाश सिंह को ताबड़तोड़ लाठी से सिर पर मारकर हत्या कर दिया था को रेलवे स्टेशन सकलडीहा से गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त-

1. बृजेश यादव पुत्र स्व0 कुदू यादव निवासी ग्राम नोनार तुलसी आश्रम थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र 30 वर्ष

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त लाठी

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-170/2020 धारा 147/323/427/452/504 भादवि व 3(1)(घ), 3(1)(द) थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार श्रीवास्तव कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
2. व0उ0नि0 वरुणेन्द्र कुमार राय कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
3. उ0नि0 लक्ष्मीकान्त मिश्र कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
4. हे0का0 सतीश कुमार यादव कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
5. का0 रोहित कुमार गौड़ कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली